न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी–श्री रोहिताश्व सिंह तोमर आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या– 31/2022

बउनवान

धनराज पुत्र गोपाललाल उम्र 40 वर्ष जाति चन्देल निवासी भंवरगढ तहसील किशनगंज जिला बारां राज0

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार, किशनगंज, जिला बारां (राज0)

(रेस्पोंडेंट)

अपील धारा–75 भू राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थिति :– 1. स्वयं (अपीलांट)

2. पेरोकार सरकार (रेस्पोंडेंट)

निर्णय दिनांक– 28.02.2024

अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, किशनगंज के आदेश दिनांक 13.03.2013 से अप्रसन्न होकर अपील, धारा–75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत इस आशय की पेश की है कि अधीनस्थ न्यायालय ने उसे ग्राम भंवरगढ, तहसील किशनगंज की आराजी खसरा नम्बर 1737/3 रकबा 10 बीघा, किस्म– चारागाह भूमि पर अतिक्रमी मानकर मानकर 500/– रूपये शास्ति आरोपित कर तीन माह के सिविल कारावास की सजा से दंडित करने पर अपीलांट द्वारा इस न्यायालय में अन्तर्गत धारा 75 भू राजस्व अधिनियम, 1956 अपील प्रकरण संख्या 25/2013 पेश की। जिसमें बाद सुनवाई दिनांक 18.03.2014 को निर्णय पारित किया जाकर अपीलांट की अपील खारिज की गई।

इस न्यायालय के आदेश दिनांक 18.03.2014 से असंतुष्ट होने पर अपीलांट ने माननीय न्यायालय संभागीय आयुक्त महोदय, कोटा संभाग, कोटा में अपील प्रकरण संख्या 129/2020/अपील/एल0आर0एक्ट0/बारां पेश की जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 31.05.2022 को निर्णय पारित किया जाकर न्यायालय हाजा का निर्णय दिनांक 18.03.2014 अपास्त किया जाकर प्रकरण ''निर्णय में विवेचित उक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपीलांट को विधिवत सुनवाई एवं पक्ष प्रस्तुत करने का समुचित अवसर प्रदान करते हुए पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु प्रतिप्रेषित किया।''

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.03.13 10:46:25 IST
Reason: SelfAttested

इस पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अपीलांट को तलब किया गया। अपीलांट ने उपस्थित होकर जवाब नोटिस का अभ्यावेदन पेश किया कि ग्राम भंवरगढ की आराजी खसरा नंबर 1737/3 रकबा 10 बीघा पर प्रार्थी द्वारा अतिक्रमण किया गया था जिस पर आरोपित जुर्माना भी प्रार्थी ने जमा करा दिया तथा कब्जा छोड़ दिया है। वर्तमान में

इस भूमि पर प्रार्थी का कब्जा नहीं है। तहसीलदार जी द्वारा 3 माह की सिविल कारावास की सजा दी थी जिसकी पालना में लगभग 35 दिन प्रार्थी जेल में रहा। वर्तमान में मेरा कोई कब्जा इस भूमि पर नहीं है। अतः मेरे विरूद्ध दी गई सिविल कारावास की सजा निरस्त फरमावें। जवाब प्राप्त होने पर प्रकरण में अपीलांट व पेरोकार सरकार की बहस सुनी गई।

दौराने बहस अपीलांट ने प्रस्तुत जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम भंवरगढ की जमीन खसरा नंबर 1737/3 रकबा 10 बीघा पर प्रार्थी द्वारा अतिक्रमण किया था, जिस पर आरोपित जुर्माना भी जमा करा दिया है तथा कब्जा छोड रखा है। वर्तमान में अपीलांट का कोई कब्जा इस भूमि पर नही है। तहसीलदार जी द्वारा मुझे कब्जा करने पर 3 माह की सिविल कारावास की सजा दी थी, जिसकी पालना में लगभग 35 दिन जेल में रहा था। वर्तमान में मेरा कोई कब्जा इस भूमि पर नही है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 13.03.2013 निरस्त फरमावें।

दौराने बहस पेरोकार सरकार ने अपील में अंकित तथ्यों का खण्डन करते हुये निवेदन किया कि अपीलांट द्वारा जवाब नोटिस में यह स्वंय स्वीकार किया है कि उसने ग्राम भंवरगढ की जमीन खसरा नंबर 1737/3 रकबा 10 बीघा पर अतिक्रमण किया गया था, जिस पर आरोपित जुर्माना भी जमा करा दिया तथा कब्जा छोड़ रखा है। अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सजायाब किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को उक्त आराजी पर पूर्व में अतिचार करने पर मिसल नम्बर 1087/12 निर्णय दिनांक 19.11.2012 से बेदखल किया गया है। अतः अपील खारिज फरमायी जावे।

हमने उभयपक्ष के कथन पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का आद्योपांत अवलोकन किया तथा गुणावगुण के आधार पर पाया जाता है कि अपीलांट द्वारा नोटिस जवाब में यह स्वीकार किया है कि उसने उक्त आराजी पर कब्जा किया था, तथा आरोपित जुर्माना भी जमा करा दिया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को प्रश्नगत आराजी ख0नं0 1737/3 रकबा 10 बीघा किस्म चारागाह ग्राम भंवरगढ पर पूर्व में अतिक्रमण करने पर मिसल नम्बर 1087/12 में पारित निर्णय दिनांक 19.11.2012 से बेदखल किया जाना अपीलाधीन निर्णय से प्रमाणित है। इससे स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को विवादित आराजी पर पश्चात्वर्ती अतिक्रमी पाये जाने पर हीं सजायाब करने का आदेश पारित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय में कोई विधिक त्रुटि होना नहीं पाया जाता है।

परिणामस्वरूप, अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार, किशनगंज द्वारा प्रकरण संख्या 383/2013 में पारित आदेश दिनांक 13.03.2013 यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 28.02.2024 को खुले इजलास लिखाया जाकर सुनाया

Signature Not Verified
Digitally signed by Rohitashva Singh Tomar
Date: 2024.03.13 10:46:25 IST
Reason: SelfAttested

(रोहिताश्व सिंह तोमर)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर,बारां
बारां (राज॰)

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज॰)